



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275744
CG-DL-E-25082026-275744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4507]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4507]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4692(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-56 के कि.मी. 08+150 से 27+700 कि.मी. तक (जोबट-अम्बुआ-गुजरात बॉर्डर रोड) कि.मी. तक तहसील - चंद्रशेखर आजाद नगर के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी

आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-56 के कि.मी. 08+150 से 27+700 कि.मी. तक (जोबट अम्बुआ गुजरात बॉर्डर रोड) तहसील - चंद्रशेखर आजाद नगर अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: अलीराजपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चंद्र शेखर आज़ाद नगर					
गांव का नाम: वहेदवा					
1	367/1/2	निजी	(सिंचित)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
गांव का नाम: बड़ा भावता					
2	334	निजी	(सिंचित)	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
3	335	निजी	(सिंचित)	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
4	336	निजी	(सिंचित)	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
5	851/1	निजी	(सिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
6	852	निजी	(सिंचित)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
7	853	निजी	(सिंचित)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
8	855	निजी	(सिंचित)	0.051 (हेक्टेयर)	0.051
गांव का नाम: बिलझर					
9	355/1/3/1/2	निजी	(सिंचित)	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
10	355/2/2	निजी	(सिंचित)	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
गांव का नाम: कालियावाव					
11	1179	निजी	(सिंचित)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
12	957	सरकारी	(नदी)	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
गांव का नाम: बड़ी मालपुर					
13	197/1/2	निजी	(सिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01

14	205/2	निजी	(सिंचित)	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
गांव का नाम: सेजावाड़ा					
15	171/4	निजी	(सिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
16	178/1/1	निजी	(सिंचित)	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
17	178/1/2	निजी	(सिंचित)	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
18	446/2	निजी	(सिंचित)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
19	448/1/1/1/1	निजी	(सिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
20	448/1/1/2	निजी	(सिंचित)	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
21	448/1/2/1	निजी	(सिंचित)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
22	448/1/2/2	निजी	(सिंचित)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
23	448/1/2/3	निजी	(सिंचित)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
24	449	सरकारी	(रास्ता)	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
25	4808/7/1	निजी	(सिंचित)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
26	4830/2	निजी	(सिंचित)	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
27	4839	निजी	(सिंचित)	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
28	5238/1	निजी	(सिंचित)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
29	5238/4	निजी	(सिंचित)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: काकड़वाड़ी					
30	350/2	निजी	(सिंचित)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
31	374/2	सरकारी	(आबादी)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
Total					0.5144

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/69/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4692(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **NH 56** in the stretch of land from **Km. 08+150 To Km. 27+700 (Jobat-Ambua-Gujrat Border Road)** (Tehsil-Chandrashekhar Azad Nagar) in the district of **ALIRAJPUR** in the state of **MADHYA PRADESH**, here by declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional officer (Revenue) & Land acquisition officer Chandrashekhar Azad Nagar, District Alirajpur (M.P.)** in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH56 in the stretch of land from Km. 08+150 To 27+700 Km. to (Jobat-Ambua-Gujrat Border Road) (Tehsil- Chandrashekhar Azad Nagar) in the district of ALIRAJPUR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: ALIRAJPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chandra shekhar Azad Nagar					
Village: Vahedwa					
1	367/1/2	Private	(Irrigated)	0.003 (Hectare)	0.003
Village: Bada Bhawta					
2	334	Private	(Irrigated)	0.018 (Hectare)	0.018
3	335	Private	(Irrigated)	0.023 (Hectare)	0.023
4	336	Private	(Irrigated)	0.006 (Hectare)	0.006
5	851/1	Private	(Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
6	852	Private	(Irrigated)	0.02 (Hectare)	0.02
7	853	Private	(Irrigated)	0.031 (Hectare)	0.031
8	855	Private	(Irrigated)	0.051 (Hectare)	0.051
Village: Biljhar					
9	355/1/3/1/2	Private	(Irrigated)	0.0084 (Hectare)	0.0084
10	355/2/2	Private	(Irrigated)	0.008 (Hectare)	0.008
Village: Kaliyawav					
11	1179	Private	(Irrigated)	0.001 (Hectare)	0.001
12	957	Government	(River)	0.009 (Hectare)	0.009

Village: Badimalpur					
13	197/1/2	Private	(Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
14	205/2	Private	(Irrigated)	0.008 (Hectare)	0.008
Village: Sejawada					
15	171/4	Private	(Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
16	178/1/1	Private	(Irrigated)	0.1 (Hectare)	0.1
17	178/1/2	Private	(Irrigated)	0.004 (Hectare)	0.004
18	446/2	Private	(Irrigated)	0.001 (Hectare)	0.001
19	448/1/1/1	Private	(Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
20	448/1/1/2	Private	(Irrigated)	0.006 (Hectare)	0.006
21	448/1/2/1	Private	(Irrigated)	0.001 (Hectare)	0.001
22	448/1/2/2	Private	(Irrigated)	0.002 (Hectare)	0.002
23	448/1/2/3	Private	(Irrigated)	0.002 (Hectare)	0.002
24	449	Government	(Rasta)	0.048 (Hectare)	0.048
25	4808/7/1	Private	(Irrigated)	0.002 (Hectare)	0.002
26	4830/2	Private	(Irrigated)	0.08 (Hectare)	0.08
27	4839	Private	(Irrigated)	0.018 (Hectare)	0.018
28	5238/1	Private	(Irrigated)	0.002 (Hectare)	0.002
29	5238/4	Private	(Irrigated)	0.001 (Hectare)	0.001
Village: Kakadwadi					
30	350/2	Private	(Irrigated)	0.001 (Hectare)	0.001
31	374/2	Government	(Aabadi)	0.02 (Hectare)	0.02
Total					0.5144

[F. No. CE-RO BPL/30010/69/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director